न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 19/ 24 वर्ष 2024

जीसीएम संख्या :–2024/169

बउनवानीः– 1. राजकवंर पुत्री नन्द सिंह नरूका जाति राजपूत निवासी चौथ का बरवाडा

बनाम

1. मंगल सिंह पुत्र नन्द किशोर दत्तक पुत्र रामस्वरूप राजपूत निवासी प्लॉट नम्बर 195 प्रेमनगर (प्रथम) गुर्जर की थडी जयपुर राजस्थान
2. सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा

(निगरानी विरूद्व मिसल संख्या 1566 मे जारी पटटा दिनांक 20.7.2019 ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री अजय शेखर दवे वकील प्रार्थी

2. श्री श्रीदास सिंह राजावत वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– दिनांक :– 1.4.2026

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा मिसल संख्या 1566 मे जारी दिनांक 20.7.2019 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित निर्णय/पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी है।

वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीया के ताऊजी का एक पटटेशुद्वा मकान ग्राम चौथ का बरवाडा में स्थित है प्रार्थीया के ताऊजी श्री हरिशचन्द्र नरूका लाऔलाद फोत हो गये उन्होंने अपने जीवनकाल में मेरे भाई इन्द्रराज सिंह पुत्र नन्द सिंह को अपना दत्तक पुत्र बनाया था। इन्द्रराज सिंह की भी मृत्यु हो गई जिन्होंने मेरे नाम अपनी सम्पत्ति का वसीयत नामा किया था। प्रस्तुत प्रकरण में मेरे अन्य ताऊ श्री रामस्वरूप ने हमारी निरक्षरता व अनभिज्ञता का अनुचित लाभ उठाते हुए हमारे ताऊजी की पट्टेशुदा विवादित सम्पत्ति को अपना बताते हुए ग्राम पंचायत में एक दरखास्त दी जिस पर पंचायत से सांझ करके आलोच्य निर्णय पारित करवा लिया। अतः उक्त निर्णय तथ्यों व विधि के प्रतिकूल ,अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित होने खारिज होने योग्य है। विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में विपक्षी रामस्वरूप ने दिनांक 19/07/2017 को विवादित भूमि को अपना पुरातन खाम मकान बताते हुए एक आवेदन ग्राम पंचायत में दिया जिसमें उक्त भूमि का पट्टा स्वयं के नाम जारी करने की प्रार्थना की है। ग्राम पंचायत ने उक्त आवेदन पर कोई स्वतंत्र या स्वयं के स्तर पर जाँच किए बिना आलोच्य निर्णय दिनांक 20/07/2019 पारित कर उक्त भूमि को खाम (कच्चा) मकान मानते हुए मृतक विपक्षी के नाम पट्टा जारी कर दिया। मृतक रामस्वरूप ने ग्राम पंचायत के समक्ष सारे तथ्य छिपाते हुए गलत बयान किया है जबकि वास्तविकता यह रही कि विवादित सम्पत्ति खाम मकान के रूप में कभी नहीं था, बल्कि यह स्व० हरिश्चन्द्र द्वारा ग्राम पंचायत की इजाजत लेकर वर्ष 1960 में ही इसे पक्का बनवा दिया था। विवादित भूमि के सम्बन्ध में मृतक रामस्वरूप ने पंचायत के समक्ष झूठे तथ्य बताकर आवेदन दिया था, उक्त विवादित भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा स्व० हरिश्चन्द्र के नाम जारी किया गया था, जो दिनांक 14/08/1955 को जारी किया था, इस तरह जिस भूमि का ग्राम पंचायत एक बार पट्टा जारी कर चुकी उसी भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को नया पट्टा जारी नहीं कर सकती। ग्राम पंचायत की उक्त निर्णय अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ग्राम पंचायत द्वारा मिसल नम्बर 122 में प्रार्थिया के ताऊजी श्री हरिश्चन्द्र के नाम पट्टा जारी कर चुकी थी। यह पट्टा किसी भी न्यायालय से खारिज नहीं हुआ। अतः तथ्यों को छिपाकर रामस्वरूप द्वारा की गयी प्रार्थना पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी आलौच्य पट्टा संख्या 98 किसी भी रूप में वैध पट्टे की श्रेणी में नहीं आता है। विवादित भूमि के पट्टेदार श्री हरिश्चन्द्र नरुका व उनकी पत्नि लाऔलाद फौत हो गये थे, उनके निधन के बाद उनके छोटे भाई श्री रामस्वरूप जी ही परिवार के वरिष्ठ सदस्य बचे थे, जिन्होंने परिवार के प्रति अपनी निष्ठा कायम रखने के बजाय अपने बड़े भाई हरिश्चन्द्र जी की सम्पत्तियों को अपने दत्तक पुत्र के माध्यम से हथियाने की योजना बनाई थी, उन्हें इन तथ्यों की जानकारी थी कि विवादित भूमि का पट्टा हरिश्चन्द्र जी के नाम है तथा वे ही उक्त

सम्पत्ति के एक मात्र मालिक है, तो भी उन्होंने गुप्त तरीके से अपने नाम पट्टा बनाने का प्रयास किया। हरिश्चन्द्र के दत्तक पुत्र इन्द्रराज सिंह ने दिनांक 10/08/2020 को एक वसीयत नामा लिखकर प्रार्थिया को अपनी चल-अचल सम्पत्ति का मालिक बना दिया था। इस तरह प्रार्थिया स्व० हरिश्चन्द्र जी द्वारा छोड़ी सम्पत्ति में सीधे रूप से हितधारक है तथा आलौच्य फैसले से प्रभावित होने से ग्राम पंचायत के आलौच्य आदेश को चुनौती देने की हकदार है। प्रार्थिया ही अभी उक्त सम्पत्ति पर बतौर मालिक काबिज है, रामस्वरूप की मृत्यु हो गई जिनका दत्तक पुत्र विपक्षी है इसलिए उसे पक्षकार बनाकर उक्त निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थिया निरक्षर, परित्यक्ता महिला है, जो अपनी माँ के साथ इसी सम्पत्ति में निवास कर रही है। विपक्षी ने विवादित सम्पत्ति का पट्टा अपने दत्तक पिता के नाम होने के आधार पर उक्त सम्पत्ति को बेचने की चर्चा चलाई जिस पर सितम्बर 2024 में उक्त फैसले के तथ्यों की जानकारी लेने के बाद अक्टूबर 2024 के प्रथम सप्ताह में नकल मिलने के बाद उक्त फैसले को चुनौती दी गयी है। अतः ग्राम पंचायत की पत्रावली संख्या 1566 दिनांक 20/07/2019 ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा विपक्षी के मृत दत्तक पिता रामस्वरूप के नाम जारी पट्टा निरस्त करने की कृपा करे।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.7.2017 को सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के समक्ष अपने पुराने खाम मकान का पटटा बनवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर पत्रावली संख्या 1566 दिनांक 19.7.2017 को संघारित की जाकर आपत्ति नोटिस क्रमांक 472 दिनांक 20.7.2017 जारी किया गया है किसी की आपत्ति प्राप्त नही होने पर दिनांक 16.7.2019 को हल्का चपरासी के साथ मौका देखा गया। प्रार्थना पत्र के साथ अपने पुश्तैनी खाम मकान का पटटा चाहने बाबत प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेज अनुसार एवं मौका अनुसार प्रार्थी का एक खाम मकान साईज 1440 वर्ग फिट पर बना हुआ पाया जाने पर एवं नक्शा अनुसार नाप व दिशाऐ सही पाये जाने पर उक्त पटटा जारी किया गया।

वकील उभय पक्षों की ओर से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के पश्चात् एवं सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि आदेश जैर अपील पटटा दिनांक 20.07.2019 को अप्रार्थी के पिता रामस्वरूप सिंह पुत्र श्योदयाल सिंह नरूका निवासी चौथ का बरवाडा के पक्ष जारी किया गया है। उक्त पटटा जारी करने से पूर्व जारी आपत्ति नोटिस किसके सामने कब चस्पा किया गया स्पष्ट नही है। यह भी स्पष्ट नही है कि मौका निरीक्षण हेतु कोई कमेटी बनाई गयी है? कौन-कौन वार्ड पंच कमेटी के सदस्य बनाये गये है स्पष्ट नही है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर यह पाया जाता है कि उक्त पटटा जारी करने से पूर्व प्रार्थीया को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया है। ऐसी स्थिति प्रकरण ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा को पुनः सुनवायी हेतु भिजवाया जाना उचित समझते है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा) को इस निर्देश के साथ **(Remand)** प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थीया को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जावे एवं उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों को रिकार्ड पर लिया पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। यदि प्रकरण मे भी पुराना पटटा स्थानान्तरण का मामला बनता है तो नियमानुसार पटटा ट्रान्सफर की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 1.4..2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner